आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार पटवारी हल्का / आई०एल०आर० पौरख निवासित गाँवो के सर्व आवेदक

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, आधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड मृत्युता प्रमाण पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थी का नाम बाबूलाल पुत्र मंगतुराम के बजाय बाबूलाल पुत्र मातुराम किया जाना उचित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरूस्त किया जाना उचित है, उचित है। आवेदक का नाम दुरूस्त किये जाने की अनुशंसा की जाती है / की जाती है।

दुरुस्त किया जाना उचित है।

तहसीलदार (भू.अ.)
तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

1252
23/11/20

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

--: आदेश :--

दिनांक :- .....

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र.स.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
01	पौरख	2075-78	436	बाबूलाल पुत्र मंगतुराम	बाबूलाल पुत्र मातुराम

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 1255 - 1256

दिनांक -

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को सूचनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीगण ..... को सूचनार्थ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.01.09 12:15:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

Scanned with CamScanner